उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या / VII-3-21 / 123–उद्योग / 2008
देहरादूनः दिनांकः 15 दिसम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम नीति–2015 में उत्तराखण्ड शासन, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या 895 / VII-2-18 / 123–उद्योग / 2008 दिनांक 11 मई, 2018 में स्पष्टीकरण शीर्ष के अन्तर्गत प्रस्तर–10, कार्यालय ज्ञाप संख्या 544 / VII-2-15 / 146–एम0एस0एम0ई0 / 2013 दिनांक 22 मार्च, 2016 के प्रस्तर–4.7(3) में अंकित उत्पाद के सम्मुख प्रदत्त प्रतिपूर्ति सहायता की मद व मात्रा शीर्ष के अन्तर्गत, तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या 527 / VII-3-19 / 146–एम0एस0एम0ई0 / 2013 दिनांक 08 मार्च, 2019 के प्रस्तर–4.8(2) में उल्लिखित नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान प्राविधानों के स्थान पर स्तम्भ–2 में निम्नानुसार नये प्राविधान / परन्तुक प्रतिस्थापित / जोड़े जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

	स्तम्भ–1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित नये प्राविधान
4.3	मूल्यवर्द्धित कर (VAT) की प्रतिपूर्ति (Reimbursement):- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा दिये गये वैट (VAT) की प्रतिपूर्ति निम्नानुसार की जायेगीः क्र.सं. श्रेणी प्रतिपूर्ति की मात्रा / सीमा 1 श्रेणी–ए प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 90 प्रतिशत 2 श्रेणी–बी व बी+ प्रथम 5 वर्ष के लिए शत प्रतिशत तथा तत्पश्चात् 75 प्रतिशत 3 श्रेणी–सी शून्य 4 श्रेणी–डी शून्य	4.3 मूल्यवर्द्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम मात्रा / सीमा श्रेणी–ए के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 125 प्रतिशत, अधिकतम 25 प्रतिशत प्रतिवर्ष तथा श्रेणी–बी के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत, अधिकतम 20 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी। **परन्तु,** (1) मूल्यवर्द्धित कर प्रतिपूर्ति सहायता की अधिकतम मात्रा / सीमा का निर्धारण इकाई में किये गये अचल पूंजी निवेश के आधार पर किया जायेगा। (2) अचल पूंजी निवेश की अवधारणा के लिए इकाई में किये गये अचल पूंजी निवेश का सत्यापन कराया जाना अपेक्षित होगा।
4.7 (3)	राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञा शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता।	4.7 (3) राज्य आबकारी नीति के तहत कुल देय State Excise Duty, Additional Excise Duty, Bottling Fees, अनुज्ञा शुल्क और अन्य देय शुल्कों में 75 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति सहायता। **परन्तु,** (1) बॉटलिंग फीस में 25 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति सहायता दी जायेगी। (2) समस्त प्रतिपूर्ति सहायता, यथाः मूल्यवर्द्धित कर, बॉटलिंग फीस, बॉटलिंग लाइसेंस शुल्क, अतिरिक्त बॉटलिंग फीस, अनुज्ञा शुल्क आदि

की अधिकतम मात्रा/सीमा श्रेणी–ए के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 125 प्रतिशत तथा श्रेणी–बी के जनपदों हेतु अचल पूंजी निवेश का 100 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। (Fixed Capital Investment का परीक्षण कराया जायेगा)

2. यह आदेश उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय। शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्याः–130/XXVII(2)/2021 दिनांक 11 दिसम्बर, 2021 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्याः1569 /VII-3-21/123–उद्योग/2008, तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि,निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, आबकारी विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन ।
5. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. आयुक्त, गढ़वाल/कुॅमाऊ, उत्तराखण्ड।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
8. अपर निदेशक राजकीय मुद्रणालय, रूड़की, जनपद हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि उक्त को आगामी गजट में प्रकाशित करते हुए, 50 प्रतियां उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड शासन।
10. वित्त (व्यय एवं नियंत्रण) अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
11. गार्ड फाईल

आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।